

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर ।

पटना, दिनांक-01-03-19

विषय:- एम०जे०सी० संख्या-620/2017 डा० अरविन्द कुमार डेढ़गवे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.01.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में जयधोष सूद की राशि कुल ₹ 1,79,823/- (एक लाख उन्नासी हजार आठ सौ तेईस) रु. मात्र का उप आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-144(7) दिनांक-15.02.2019 तथा वित्त विभागीय आवंटनादेश संख्या-245 वि० दिनांक-22.02.19 (प्रति संलग्न) के आलोक में ₹ 1,79,823/- (एक लाख उन्नासी हजार आठ सौ तेईस) रु. मात्र का उप आवंटन दी जाती है ।


2. उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज-आदायगियाँ (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय विपत्र कोड संख्या-13-2049607010003 विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायेगी ।

4. यह उप आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जा रही है ।

5. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 99(7)A

पटना, दिनांक : 01-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी /को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा-2,3,7/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



पत्र सं० अ०पा० 20/2018/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: एम०जे०सी० सं० 620/2017 डॉ० अरविन्द कुमार डेढ़गवे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि रुपये 1,79,823/- (एक लाख उनासी हजार आठ सौ तेईस) रुपये का आवंटन ।

पटना, दिनांक

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-144(7) दिनांक- 15.02.2019 के आलोक में राशि- 1,79,823/- (एक लाख उनासी हजार आठ सौ तेईस) रुपये मात्र निधि आवंटन की जाती है ।

2. उपर्युक्त व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मांग सं०-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड- 13-2049607010003 विस्तृत शीर्ष- 45-ब्याज, विषय शीर्ष- 01-ब्याज के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर होंगे तथा इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायेगी ।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- अ०पा० 20/2018

/वि०,

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- अ०पा० 20/2018-245 /वि०,

पटना, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर भोजपुर/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर एवं अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक- 144(7) दिनांक- 15.02.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।